

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



एल.जी.डी की अधिसूचना

LGD Notification

MODIFY TYPE OF LOCALBODY

Published By

Name Lekhraj Jagrat
Designation Senior Joint Legal Remembrancer
Mobile no. 9829361117
IP Address 164.100.145.17
On date 28/06/2024

Proposed By

Name MONIKA RAJ
Designation INFORMATICS ASSISTANT
Mobile no. 9509429221
IP Address 164.100.222.44
On date 29/01/2024

Local body Name (In English) {local-body-name-english}
Local body Type Name (Old) {local-body-type-name-old}
Local body Type Name (New) {local-body-type-name-new}
Effective Date Mon Apr 24 00:00:00 IST 2023



राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

ज्येष्ठ 10, बुधवार, शाके 1945-मई 31, 2023
Jyaistha 10, Wednesday, Saka 1945- May 31, 2023

भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

अधिसूचना

जयपुर, अप्रैल 24, 2023

संख्या प.10(न.पा.)(गठन)() (ब.घो.)डीएलबी/23/ 1291 :-विभागीय अधिसूचना क्रमांक 351 दिनांक 19.02.2021 के द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या 18) की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) (i) एवं उप-धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं मानको को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार निम्नांकित सम्पूर्ण ग्राम पंचायत आहोर (जिला जालोर) को सम्मिलित करते हुए एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिका घोषित करती है :-

क्र.सं.	जिला	नवगठित नगर पालिका का नाम	नवगठित नगरपालिका में शामिल ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र
01.	जालोर	आहोर	ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण क्षेत्र में आने वाले राजस्व ग्राम आहोर के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या - 16,867) जनगणना 2011 के अनुसार

माननीय मुख्य मंत्री महोदय के बजट प्रस्ताव 2022-23 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आहोर के सम्पूर्ण राजस्व ग्राम के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए (जनसंख्या - 16, 867) जनगणना 2011 के अनुसार के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र की विद्यमान सीमाएं ही नवगठित नगर पालिका की स्थानीय सीमाएं रहेगी । विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2025 दि 1/6/21 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आहोर के निर्वाचित सरपंच/उप सरपंच एवं वार्ड पंचों को नवगठित नगर पालिका में क्रमशः अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं वार्ड सदस्य समझा जावेगा ।

यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

हृदेश कुमार शर्मा,
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव।